न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 58/2010

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 रघुनाथ माली फोजाजी माली		1 पानीदेवी पत्नि फुलाराम चौधरी निवासी लाटाडा तहसील बाली
2 अमृतलाल पुत्र मनरूप माली		2 ग्राम पंचायत लाटाडा तहसील बाली
3 मूलाराम पुत्र गमनाजी मेघवाल		3 फुली पत्नि वेलारमा जाति जणवा चौधरी निवासी लाटाडा
4 रंगाराम पुत्र कुपाजी मेघवाल		
5 देवाराम पुत्र लखमाजी देवासी		
6 रूपारामपुत्र रताजी भील		
7 हस्तीमल पुत्र पकाराम प्रतापत		
8 मांगीलाल पुत्र नगाजी मेघवाल		
9 कानाराम पुत्र गुलाबजी माली		
10 लूम्बाराम पुत्र रामाजी भील		
11 हसमुखलाल पुत्र फुटरमल रावल		
12 भबुताराम पुत्र सगताजी देवासी		
13 राजेन्द्र कुमार पुत्र जसाराम माली		
14 समाराम पुत्र दीपाजी चौधरी		
15 हेमाराम पुत्र हीराजी चौधरी		
16 ओटाराम पुत्र नेमाजी मीणा		
17 भंवरलाल पुत्र उदाजी मीणा		
18 फुलसिंह पुत्र हेमसिंह रावणा राजपूत		
19 महेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत निवासीगण लाटाडा तहसील बाली		

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 30/10/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 26/1999–2000 में पारित संकल्प संख्या 2 दिनांक 06.12.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3314 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुए। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टा रास्ते की भूमि में जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र खानापूर्ति करते हुए आधी अधूरी प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी जांच के जैर अपील आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। न तो विधि अनुसार मिसल कायम की गई, न ग्राम सेवक द्वारा नक्शा तैयार किया गया, भूमि के पडौस में क्या स्थित है, आदि अंकित नही है। मौका जांच किन पंचो द्वारा की गई, उनके नाम भी खाली छोडे गये है, निरीक्षण की दिनांक एवं पंचों के हस्ताक्षर आदि नही है। आपत्ति इश्तिहार अपूर्ण जारी किया गया है तथा किस स्थान पर किनके समक्ष चस्पा किया गया, अंकित नही है। गवाहों के बयान भी कलमबद्ध नही किये गये, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी का कितने वर्षो पुराना मकान निर्मित है। समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मिलावट करते हुए की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 10.05.2012 को बेचान की जा चुकी है। ग्राम पंचायत द्वारा आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टा को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 26/1999–2000 में पारित संकल्प संख्या 2 दिनांक 06.12.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3314 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी पोनी पत्नि फुलाराम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत लाटाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आबादी भूमि में रिक्त पडे भूखण्ड का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। जिस पर किसी प्रकार की मिसल कायम नही की गई, मात्र मिसल का सरबरक लिखा जाकर नक्शा प्रपत्र एवं आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया, जिस पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। न तो ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर है तथा न ही तीन वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है। मात्र 4 कागजात ही नत्थीबद्ध किये जाकर मिसल का स्वरूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त न तो किसी प्रकार की आदेशिका है तथा न ही पट्टा जारी करने का आदेश। किसी प्रकार की जांच नही की गई तथा न ही किसी प्रक्रिया को अपनाया गया।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलेक्टर, पाली

कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

हस्तगत प्रकरण में नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है, जबकि इस सम्बन्ध में कोई जांच नही की गई कि अप्रार्थी संख्या 1 नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखती है अथवा नही तथा वह किस रूप में कमजोर वर्ग की श्रेणी में शुमार होती है ? ऐसी कोई जांच नही की गई। स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत पत्र दिनांक 01.11.2009 में यह स्वीकार किया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नही है तथा भूखण्ड भौतिक रूप से आज भी खाली पडा है तथा उक्त भूखण्ड मामाजी के चौक का हिस्सा है तथा रास्ते के रूप में उपलब्ध है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि सार्वजनिक चौक एवं रास्ते की भूमि है। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में पूर्व में दिनांक 13.06.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका था, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके पति ने उपस्थित दर्ज करवाई थी, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्णय को दिनांक 23.6.2016 को किया जाकर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया, किन्तु इसके बाद भी नियत तारीख पेशी को अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित नही हुए, लिहाजा प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रथमतः पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना किये बिना, बगैर किसी प्रस्ताव लिये, बिना किसी आदेश के अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में तथाकथित रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा संख्या 3314 जारी किया गया है, जो किसी भी रूप में कायम रखने योग्य नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 26/1999–2000 में पारित संकल्प संख्या

अति० जिला कलक्टर पाली

2 दिनांक 06.12.1999 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3314 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली